न्यायालय न्यायनियर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री मुरारी लाल शर्मा
मुकदमा नम्बर : 18/2023 — आर.ए.एस

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।
बनाम
श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री बीरबल राम सैनी, मैसर्स सैनी मिष्ठान भण्डार, खातियों वाली ढाणी, वार्ड नम्बर 01, जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

–निर्णय– **दिनांक : 28.08..2023**

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार है:– कि आवेदक श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 13.01.2023 को मैसर्स सैनी मिष्ठान भण्डार, खातियों वाली ढाणी वार्ड नम्बर 01, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री मनोज कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान पर 100 से 200 लीटर गाय का दुध आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ गाय का दुध में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ के सब स्टैण्डर्ड फूड आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी वार्ड नम्बर 01, खातियों वाली ढाणी, झुन्झुनू में मै0 सैनी मिष्ठान भण्डार, के नाम से मिठाई की दुकान है जहां वह मिठाई तैयार करने के लिए दूध इक्कठा कर रखता है तथा दूध का बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ गाय के दूध का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard food) पाया गया है। अनावेदक ने निवेदन किया कि भविष्य में वह अपनी दुकान में साफ–सफाई का ध्यान रखेगा तथा गुणवतापूर्ण दुध का ही बेचान करूंगा। अतः उसके विरूद्ध प्रकरण ड्रॉप किया जाये।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./112/एक्ट/2023/132 दिनांक 19.01.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ गाय का दूध सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (पपद्ध के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 सैनी मिष्ठान भण्डार पर खाद्य पदार्थ गाय का दूध का भण्डारण एवं बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ गाय का दूध सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री बीरबल राम सैनी, मै0 सैनी मिष्ठान भण्डार, खातियों की ढाणी, वार्ड नम्बर 01, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (पप) को दोषी मानकर प्रकरण में 10,000/– दस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.8.2023

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।